स्मृति पत्र

1.संस्था का नाम - प्रेमवती प्रकाश नारायण महाविद्यालय समिति

2.संस्था का पता रूरा, कानपुर देहात-209303

3.संस्था का कार्यक्षेत्र-समस्त उत्तर प्रदेश ।

4.संस्था के उद्देश्य-

1.इस संस्था का मुख्य उद्देश्य शिक्षा का प्रचार प्रसार करना,समाज का चौमुखी विकास करने हेतु शिक्षात्मक कार्यक्रमों का आयोजन व उनका संचालन करना होगा ।

2.शिक्षा जगत् में अपना महत्वपूर्ण योगदान करना शिक्षा का प्रचार प्रसार करना शिक्षा के बहुमुखी विकास हेतु हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, भाषाओं के माध्यम से कन्या महाविद्यालय, महाविद्यालय (बी0ए0,बी0एस0सी0, एम0ए0, एम0एस0सी0, बी0काम0,एम0काम0, बी0एड0, एम0एड0, बी0टी0सी0,बी0पी0एड0 आदि) पुस्तकालयों एवं वाचनालयों, एवम् सांस्कृतिक शिक्षा, कलात्मक शिक्षा, प्रोढ़ शिक्षा, संगीत शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षण एवम् प्रशिक्षण केन्द्रो की स्थापना व संचालन करना एवं शासन प्रशासन की सक्षम अनुमति के उपरांत टेक्निकल, डेन्टल एवं मेडिकल इन्स्टीट्यूटस, औषधीय कालेजों व अस्पतालों, इंजीनियरिंग कालेज (बी0टेक, एम0टेक0, एम0बी0ए0, एम.सी.ए, बी.बी.ए.बी0सी0ए0, ~~आदि) पालीटेक्निक संस्थाओं, आई0टी0आई0 आदि~~ को खोलना, एवं उनका संचालन प्रबन्ध व व्यवस्था करना ।

3.पुस्तकालय,वाचनालय,बुक बैंक आदि स्थापित कर उपयोगी ज्ञान का प्रचार व प्रसार एवं शोध कार्य करना तथा निर्धन व मेधावी छात्र/छात्राओं को पुस्तकीय सहायतायें उपलब्ध कराना ।

4.प्रतिभावान छात्र/छात्राओं की प्रतिभाओं का विकास करना तथा उन्हें शिक्षा के अवसरों को उपलब्ध कराना तथा उनके मध्य विभिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्यक्रमों, प्रतियोगी परीक्षाओं, खेलकूद प्रतियोगिताओं, लेखन प्रतियोगिताओं,वाद विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन करना ।

5.अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा के माध्यम से विकास रोजगार एवं शोध कार्यो के अवसरों को सृजित करना उनके लिए केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा बतायी जा रही कल्याणकारी योजनाओं को लेना व चलाना तथा उनका सर्वागीण शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सकरात्मक प्रयास करना ।

आशा द्विवेदी
शिवशशि द्विवेदी
आशुतोष मिश्रा
दिनेश कुमार बालोटिया

सत्य-प्रतिलिपि
वरिष्ठ सहायक

गिरीश चन्द्र तिवारी
जगदीश नारायण तिवारी
मनोज अवस्थी

6.महिलाओं की सामाजिक दशा सुधारने के लिए उन्हें शिक्षा द्वारा विकास के अवसर उपलब्ध कराना, विधवा, निराश्रित व परितम्य महिलाओं के लिए शिक्षण प्रशिक्षण की योजनाओं व कार्यक्रमों को आयोजित कर उनके लिए रोजगार के अवसरों को सृजित करना तथा आम जन के लिए स्वास्थ्य शिविरो का आयोजन करना व संचालन करना तथा चिकित्सालयो की स्थापना व संचालन करना ।

7.अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, गरीब व मेधावी छात्र/छात्राओं की उच्च शिक्षा एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोंचिग की व्यवस्था करना, उन्हें परीक्षा के योग्य बनाना ताकि वे उनमें सफल होकर सुयोग्य नागरिक बन सकें ।

8.निर्धन छात्र/छात्राओं को आर्थिक मद्द देकर उन्हें पुस्तकों एवं शिक्षा को आगे पढ़ाने में मद्द करना

09.मलिन बस्तियों में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना शैक्षिक केन्द्रों/विद्यालयों की स्थापना कर संचालन करना एवं गरीब बच्चो को पुस्तकीय सहायता प्रदान करना ताकि समाज में सुख शान्ति का वातावरण बन सकें ।

10.शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग,नेत्रहीन छात्र/छात्राओं मूक बधिरों आदि का शिक्षा के माध्यम से विकास करना उनके लिए प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना एवं संचालन करना ।

11.समय समय पर सांस्कृतिक कार्यकम, विचार गोष्ठी, सेमीनार सम्मेलन, खेलकूद प्रतियोगिता,आर्टस प्रतियोगिता वाद विवाद प्रतियोगिता,पल्स पोलियो प्रतिरक्षण शिविरों का आयोजन करना ।

12.समाज के विकलांगों, निर्धनों, विधवाओं, वृद्धों,अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियो, अल्पसंख्यकों, पिछड़ा वर्गों के कल्याण के लिए कार्य करना ।

13.महिलाओं/बालिकाओं को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, शिल्प कला, ललित कला, संगीत कला, गायन-वादन, ब्यूटीशियन कोर्स,नृत्य, फैशन डिजाइनिंग, डांस कम्प्टीशन, चिकन जरी, फलावर मेंकिंग, फल प्रसंस्करण,खाद्य प्रसंस्करण पेन्टिंग आफसेट प्रिन्टिंग, प्रिन्टिंग, खादी एवं हस्तशिल्प, चर्मशिल्प,मिट्टी के बर्तन एवं कलात्मक वस्तुओं के निर्माण आदि का प्रशिक्षण दिलाकर उनमें स्वावलम्बन की भावना जागृत करना ।

14.बालक एवं बालिकाओं में स्वास्थ्य, साहित्य एवं मनोंरजन की व्यवस्था करना उनके लिए छात्रावासों को बनवाना उनकी प्रारम्भिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक की

सत्य-प्रतिलिपि

आशा द्विवेदी
रविशंकर द्विवेदी
आशीष मिश्रा
दिनेश कुमार पालीवाल

वरिष्ठ सहायक

गिरीश चन्द्र तिवारी
जगदीश नारायण तिवारी
प्रदीप अवस्थी

व्यवस्था करना इस हेतु समाज कल्याण विभाग,ग्रामीण अभिकरण,सूडा सेल,डूडा सेल,सिप्सा,नावार्ड,नौराई,जिला समाज कल्याण बोर्ड केन्द्रीय समाज कल्याण सलाहाकार बोर्ड,मानव संशाधन विकास मन्त्रालय के कार्यकमों योजनाओं को लेना उनका प्रचार प्रसार एवं प्रबन्धकार्य नियमानुसार सम्पादित व संचालित करना ।

15.संस्था की पहचान बनाये रखने हेतु स्मारिका पत्रिका निकालना प्रचार प्रसार करना तथा बालक एवं बालिकाओं को कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करना उनके लिए कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों(साफ्टवेयर एण्ड हार्डवेयर) का संचालन करना एवम् ग्रामोद्योग एवं कुटीर उद्योगों के शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था करना बाल श्रमिक विद्यालय की स्थापना करना एवं प्रबन्धकार्य नियमानुसार सम्पादित करना ।

16.कार्यक्षेत्र में गरीब जनता के लाभार्थ टीकाकरण,जनसंख्या नियंत्रण, कार्यकमों परिवार नियोजन कार्यकमों,मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्रों,एड्स नियंत्रण कार्यकमों, जागरूकता कार्यकमों,नशामुक्ति कार्यकमों, प्रदूषण नियंत्रण, कुष्ठ रोगी सेवा केन्द्र, अन्धता निवारण कार्यकमों,नेत्र शिविरों,रक्तदान कार्यकमों स्वास्थ्य परीक्षण कैम्पों वृक्षारोपण, का संचालन व प्रबन्धकार्य नियमानुसार सम्पादित करना ।

आशा द्विवेदी

आशीष मिश्रा
दिनेश कुमार पालीवाल

गिरीश चन्द्र तिवारी
जगदीश नारायण तिवारी

सत्य-प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक

5.प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियो एवं सदस्यो के नाम, पिता/पति का नाम पता एवं व्यवसाय जिनको संस्था के नियमानुसार कार्यभार सौपा गया है --

क0सं0 नाम, पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.श्रीमती आशा द्विवेदी पत्नी श्री रविशशि द्विवेदी	ग्राम पोस्ट रूरा, कानपुर देहात	अध्यक्ष	स.सेवा
2.श्री रविशशि द्विवेदी पुत्र स्व0श्री श्री प्रकाश नारायण	मेन रोड़, रूरा, कानपुर देहात	प्रबन्धक/ सचिव	व्यापार
3.श्री आशीष मिश्रा पुत्र श्री अनिल कुमार	मेन रोड़, रूरा, कानपुर देहात	कोषाध्यक्ष	व्यापार
4.श्री दिनेश कुमार पालीवाल पुत्र स्व0 श्री राम कुमार	स्टेशन रोड़, रूरा, कानपुर देहात	सदस्य	व्यापार
5.श्री गिरीश चन्द्र तिवारी पुत्र श्री जगदीश नारायण	पाथामाई, रूरा, कानपुर देहात	सदस्य	पत्रकार
6.श्री जगदीश नारायण तिवारी पुत्र श्री राधाराम	मेन रोड़, रूरा, कानपुर देहात	सदस्य	व्यापार
7.श्री मनीष अवस्थी पुत्र श्री शिव प्रकाश अवस्थी	पाथामाई गली, रूरा,कानपुर दे0	सदस्य	शिक्षक

6.हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता उपरोक्त स्मृति पत्र के आधार पर संस्था को सोसाइटीज रजि0अधिनियम की संख्या 21 सन् 1860 के तहत पंजीकृत कराना चाहते है--

दिनांक- 07-12-12

क0सं0 नाम	हस्ताक्षर
1.श्रीमती आशा द्विवेदी	आशा द्विवेदी
2.श्री रविशशि द्विवेदी	रविशशि द्विवेदी
3.श्री आशीष मिश्रा	आशीष मिश्रा
4.श्री दिनेश कुमार पालीवाल	दिनेश कुमार पालीवाल
5.श्री गिरीश चन्द्र तिवारी	गिरीश चन्द्र तिवारी
6.श्री जगदीश नारायण तिवारी	जगदीश नारायण तिवारी
7.श्री मनीष अवस्थी	मनीष अवस्थी

सत्य-प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक

13/12/12

नियमावली

1.संस्था का नाम – प्रेमवती प्रकाश नारायण महाविद्यालय रविशीश द्विवेदी रविशीश द्विवेदी

2.संस्था का पता-रूरा, कानपुर देहात-209303

3.संस्था का कार्यक्षेत्र-समस्त उत्तर प्रदेश ।

4.संस्था के उद्देश्य- स्मृति पत्र के अनुसार होगें ।

5.संस्था की सदस्यता एवं सदस्यों के वर्ग :

वह व्यक्ति जो संस्था के उद्देश्यों के प्रति पूर्ण विश्वास एवं आस्था रखता हो तथा संस्था के नियमों का पालन करने के प्रति वचनबद्ध हो उम्र से बालिग हो तथा भारतीय नागरिक हो संस्था का सदस्य प्रबन्धक/सचिव की संस्तुति से बनाया जायेगा

संस्थापक सदस्य-संस्था की स्थापना में श्रीमती आशा द्विवेदी श्री रविशीश द्विवेदी ने अपना अथक सहयोग एंव योगदान दिया है इसलिए यह संस्था के आजीवन संस्थापक सदस्य रहेगें । इन्हें कभी भी संस्था से हटाया नही जा सकेगा ।

आजीवन सदस्य :संस्था को पाँच हजार एक रू.नगद या इससे अधिक मूल्य की चल-अचल सम्पत्ति दान स्वरुप प्रदान करने वालों को संस्था का आजीवन सदस्य बनाया जायेंगा ।

विशिष्ट सदस्य –

सरकार द्वारा सम्मानित,उपाधि प्राप्त विद्वानों,सांसदों,विधायकों एवं समाज के प्रतिष्ठित नागरिकों, पत्रकारिता से सम्बन्धित व्यक्तियो को संस्था का विशिष्ट सदस्य बनाया जायेंगा,मताधिकारी नही होगें,सदस्यता शुल्क से मुक्त रहेगें ।

सामान्य सदस्य –

संस्था को प्रति वर्ष सत्र की समाप्ति पर अप्रैल माह में रुपया 100/- नगद शुल्क प्रदान करने वालों को संस्था का सामान्य सदस्य बनाया जायेगा ।

6.सदस्यता की समाप्ति –

मृत्यु होने पर, पागल होने पर, दिवालिया होने पर, किसी गम्भीर रोग से पीड़ित होने पर, किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किये जाने पर,संस्था के नियमों का पालन न करने पर, निर्धारित सदस्यता शुल्क न अदा करने पर,संस्था के विरुद्ध प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करने पर, लगातार तीन बैठकों में बिना किसी स्पष्ट कारण के अनुपस्थित रहने पर, त्यागपत्र स्वीकार हो जाने पर, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर सदस्यता समाप्त कर दी जायेंगी ।

सत्य-प्रतिलिपि

आशा द्विवेदी

रविशीश द्विवेदी

परिष्ठ सहायक

आशीष मिश्रा

दिनेश कुमार पालीवाल

गिरीश चन्द्र तिवारी

जगदीश नारायण तिवारी

मनीष अवस्थी

7.संस्था के अंग-संस्था के दो अंग होगें ---

अ.साधारण सभा ।

ब.प्रबन्धकारिणी समिति ।

8.साधारण सभा :अ.गठन -

साधारण सभा का गठन संस्था के सभी प्रकार के सदस्यों को मिला कर किया जायेगा ।

ब.बैठकें-सामान्य व विशेष

साधारण सभा की सामान्य बैठकों को वर्ण में एक बार व विशेष बैठकों को आवश्यकतानुसार कभी भी अध्यक्ष के अनुमोदन पर अथवा 2/3 सदस्यों की लिखित मॉग पर प्रबन्धक/सचिव द्वारा बुलायी जायेंगी।

स.सूचना अवधि-

साधारण सभा की सामान्य बैठकों की सूचना 15 दिन पूर्व व विशेष बैठकों की सूचना 3 दिन पूर्व देकर के बुलायी जायेंगी ।

द.गणपूर्ति-

साधारण सभा की सभी प्रकार की बैठकों के लिए कुल सदस्य संख्या की 2/3 सदस्यों की उपस्थिति अत्यन्त आवश्यक होगी किन्तु कोरम के अभाव में स्थगित बैठको को दो घंटे बाद पुनः आहूत करने पर कोरम 1/3 होगा लेकिन एजेण्डा के विषय पूर्ववत ही बनें रहेंगें ।

य.विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि :

साधारण सभा का विशेष वार्षिक अधिवेशन प्रति वर्ष सत्र की समाप्ति पर किया जायेंगा, जिसकी तिथि, समय व स्थान प्रबन्धसमिति द्वारा तय कर लिया जायेंगा ।

र.साधारण सभा के कर्तव्य :

1.प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव करना ।

2.वार्षिक आय व्यय बजट पारित करना ।

3.नियमों व विनियमों में 2/3 के बहुमत से संशोधन कार्यवाही करना ।

आशा द्विवेदी

सत्य-प्रतिलिपि

आशीष मिश्रा

वरिष्ठ सहायक

गिरीश चन्द्र तिवारी

जगदीश नारायण तिवारी

मनोज

स. कोषाध्यक्ष-

1.वार्षिक आय व्यय का विवरण तैयार करना ।

2.आय व्यय सम्बन्धित अभिलेखो को लिपिबद्ध करना ।

3.सदस्यों से सदस्यता शुल्क प्राप्त कर उनको उसकी रसीदे देना ।

4.प्रबन्धसमिति द्वारा प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करना ।

11.संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन प्रकिया -

संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन,परिवर्तन,परिवर्धन साधारण सभा की बैठक में 2/3 सदस्यों के बहुमत से सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 12 एवं 4'क' के अनुसार किया जायेगा ।

12.संस्था का कोष -

संस्था के समस्त कोष को किसी राष्ट्रीयकृत/प्राइवेट बैंक में संस्था के नाम खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा कोष का संचालन संस्था के प्रबन्धक/सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरो से किया जायेगा । संचालित महाविद्यालयों के खाते शिक्षा विभाग के नियमानुसार प्रबन्धक/सचिव के हस्ताक्षरों से संचालित होगें ।

~~आय के स्रोत 1.सदस्यता शुल्क द्वारा~~
~~2.सरकारी गैर सरकारी अनुदान~~
~~3.दान व चन्दा से~~
~~4.अन्य स्रोतों से~~

रविशीश द्विवेदी

13.संस्था का लेखा परीक्षण-

संस्था के समस्त आय-व्यय का लेखा परीक्षण प्रति वर्ष सत्र की समाप्ति पर संस्था द्वारा नियुक्त किसी योग्य आडीटर अथवा चार्टेड एकाउन्टेन्ट द्वारा कराया जायेगा ।

14.संस्था द्वारा या उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व-

संस्था द्वारा या उसके विरूद्ध समस्त प्रकार के वाद विवाद की अदालती कार्यवाही संचालन संस्था के प्रबन्धक/सचिव द्वारा या उसके द्वारा अधिकृत योग्य अधिवक्ता द्वारा की जायेंगी तथा समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही का न्याय क्षेत्र जिला कानपुर देहात ही होगा ।

आशा द्विवेदी

सत्य-प्रतिलिपि

गिरीश चन्द्र तिवारी

जगदीश नारायण तिवारी

वरिष्ठ सहायक

आशीष मिश्रा

मनीष अवस्थी

रितेश कुमार पालीवाल

15.संस्था के अभिलेख –अ.सदस्यता रजिस्टर ।

ब.कार्यवाही रजिस्टर । स.एजेण्डा रजिस्टर । द.कैश बुक एवं लेजर ।
य.वाउचर फाइल व अन्य समय समय पर आवश्यकतानुसार ।

16.संस्था का विघटन –संस्था का विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसा0रजि0अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेंगी

सत्यप्रतिलिपि

दिनांक– 07-12-12 हस्ताक्षर –

आशा द्विवेदी
[illegible]
आशीष मिश्रा
दिनेश कुमार पालीवाल
गिरीश चन्द्र तिवारी
जगदीश नारायण तिवारी
मनीष अवस्थी

सत्य-प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
19/12/12